टेलीफोन 2666861 to 2666864
Telephone 2666422, 2666778
2666774 to 2666776
Website www.cochincustoms.gov.in

तार
Telegram CUSTOMS
Fax 0484-2668468
email : cochincustoms@nic.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE : कोचिन COCHIN- 682009

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY No.16 /2013

विषय: आई.सी.टी.टी में कंटेनरों के आने जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांशिप्मेंट टर्मिनल (आई.सी.टी.टी) में गेट मॉड्यूल का कार्यान्वयन। आई.सी.टी.टी से हाउस स्टफ़्ड कंटेनरों के लिए 'लेट एक्स्पोर्ट ऑर्डर' की सुविधा – संबन्धित।

Sub: Implementation of Gate Module at the International Container Transhipment Terminal (ICTT) for movement Containers from/to ICTT, Facility for 'Let Export order' from ICTT for House stuffed containers etc - Procedure – Reg.

आयातक, निर्यातक, सीमाशुल्क गृह एजेन्ट और व्यापारियों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि आई.सी.टी.टी में कंटेनरों के कुशल और तेजी से आने जाने हेतु आई.सी.टी.टी, वल्लारपाडम में एक गेट मॉड्यूल का कार्यान्वयन किया जाएगा। गेट मॉड्यूल के साथ विभाग 24x7 के आधार पर व्यापार सुविधा के उपाय के लिए और निर्यात कंटेनरों के तेजी से निकासी के लिए आई.सी.टी.टी, वल्लारपाडम से हाउस स्टफ़्ड कंटेनरों के लिए 'लेट एक्स्पोर्ट ऑर्डर' की सुविधा भी पेश कर रही है।

All Importers, Exporters, CHAs and Members of the Trade are hereby informed that a Gate Module will be implemented at the ICTT, Vallarpadom, for efficient and fast movement of containers to and from ICTT. Along with the gate module, the Department is introducing the facility for granting "Let Export Order" from ICTT Vallarpadom, for house stuffed Containers, on 24x7 basis as a trade facilitation measure and for speedy clearance of export consignments.

2. आगे यह भी सूचित किया जाता है कि गेट मॉड्यूल के कार्यान्वयन पर सी.एफ.एस. के गेट मॉड्यूल में गेट अधिकारी द्वारा इंदराज किए जाने के बाद आई.सी.ई.एस वर्शन 1.5 में 'लेट एक्स्पोर्ट ऑर्डर' (एल ई ओ) को रद्द या शिप्पिंग बिल में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

इसलिए गेट अधिकारी को शिप्पिंग कागजात सौंपने से पहले सी.हेच.ए/ निर्यातक यह सुनिश्चित कर लें कि शिप्पिंग बिल में दिये गए विवरण पूर्ण रूप में सही हैं।

It is further informed that on implementation of the Gate module, it **will not be possible in ICES version 1.5 to cancel the Let Export Order (LEO) or to effect amendments in the Shipping Bill once the entry is made by the Gate officer in the gate module at CFS. Hence, before handing over the shipping documents to the Gate Officer, CHAs/ Exporters should ensure that the particulars in the Shipping Bill are correct in all respects.**

3. आयातित कंटेनरों के बारे में फिर से यह कहा जा रहा है कि संबन्धित सी.एफ.एस. में आयातित कंटेनरों के आने जाने हेतु सभी शिप्पिंग लाइन/स्टीमर एजेंट को आई.जी.एम. के प्रत्येक कतार में आयातक/सी.हेच.ए. द्वारा रखे/सूचित किये गये सी.एफ.एस. के नाम/कोड लिखना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए व्यापार सुविधा सं.04/2011 दिनांक 10.02.2011 देखें।

   Regarding imported containers, it is reiterated that all Shipping Lines/Steamer Agents are required to compulsorily indicate against each line in the IGM, the name/code of the CFS opted for/intimated by the importers/CHAs, for movement of imported containers to the concerned CFS. Trade facility No.04/2011 dated 10.02.2011 may be referred in this regard for details.

4. आई.सी.टी.टी से निर्यात/आयात कंटेनरों के आने जाने के संबंध में संशोधित प्रक्रिया निम्न अनुसार होगा:

   The revised procedures for movement of export/import containers to/from ICTT shall be as detailed below:-

<u>सी.एफ.एस. से आई.सी.टी.टी तक निर्यात कंटेनरों का आना जाना</u>

<u>Movement of Export Containers</u>
<u>From CFS to ICTT</u>

5. सी.एफ.एस. में सीमाशुल्क पर्यवेक्षण के अधीन निर्यात कंटेनरों के स्टफ़िंग और सील करने के बाद सीमाशुल्क गृह एजेंट/निर्यातक शिप्पिंग बिल को अन्य कागजातों के साथ सी.एफ.एस. में तैनात निवारक अधिकारी को सौंप देंगे। आई.सी.ई.एस. 'गेट आउट' मॉड्यूल में निवारक अधिकारी कंटेनर संख्या, सीमाशुल्क सील संख्या, ट्रक संख्या आदि के संबंध में आवश्यक विवरण भरेंगे और शिप्पिंग बिल/गेट पास में 'गेट आउट टाइम' लिखने के बाद शिप्पिंग बिल को सी.हेच.ए. को वापस कर देंगे।

After stuffing and sealing of the export container at the CFS under Customs supervision, the Custom House Agent (CHA)/Exporter will hand over the Shipping Bill along with other documents to the Preventive Officer posted at Gate, CFS. The Preventive Officer will enter the necessary details in the ICES **'Gate out' module** regarding the Container number, Customs Seal Number, Truck number etc. and return the Shipping bill to CHA after noting the 'gate out time' in the Shipping Bill/ Gate pass.

6. कंटेनर के आई.सी.टी.टी, वल्लारपाडम में पहुँचने पर आई.सी.टी.टी निर्यात गेट में तैनात निवारक अधिकारी सील की स्थिति का जांच करेंगे और उसके बाद 'गेट इन' मॉड्यूल में इंदराज़ करेंगे। इसके बाद यदि सीमाशुल्क सील ठीक है तो और एल.ई.ओ. प्राप्त हुआ है तो गेट अधिकारी 'सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 39 के अधीन एन्ट्री औटवर्ड प्राप्ति पर लोडिंग की अनुमति' लिखेंगे और कंटेनरों को आई.सी.टी.टी में प्रवेश की अनुमति देंगे। सी.एफ.एस. से आई.सी.टी.टी में कंटेनरों के आने जाने में यदि कोई असाधारण देरी हो तो उसे सहा.आयुक्त/उप आयुक्त (डॉक्स) के पास भेजा जाये। 'गेट इन' मॉड्यूल में इंदराज़ करने के बाद शिप्पिंग बिल ई.जी.एम. क्यू में रखा जाएगा।

   On arrival of the container at ICTT, Vallarpadom, the Preventive Officer posted at ICTT Export Gate shall verify the intactness of the seal and thereafter, make entries in the **'Gate In' module**. Thereafter, the gate officer will endorse 'Allowed loading after obtaining Entry Outwards under Sec 39 of Customs Act' and allow the containers into the ICTT, if the Customs seal is intact and the LEO has been granted. If any abnormal delay is noticed in movement of container from CFS to ICTT, matter will be referred to AC/DC (Docks). Once entries are made in 'Gate in' module, the Shipping Bill will move to EGM queue.

<u>हाउस स्टफ़्फ़्ड कंटेनर</u>

<u>House stuffed Containers</u>

7. हाउस स्टफ़्फ़्ड कंटेनरों (सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षण के अधीन) के आई.सी.टी.टी, वल्लारपाडम में पहुँचने पर निर्यातक/निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमाशुल्क निर्यात प्रक्रिया केंद्र (सी.ई.पी.सी.) में तैनात निवारक अधिकारी को सभी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करेंगे। कंटेनरों में सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क सील ठीक है या नहीं का जांच निवारक अधिकारी करेंगे और उसे शिप्पिंग बिल में इंदराज़ करेंगे और सी.ई.पी.सी. में तैनात मू.नि./अधीक्षक को देंगे। मू.नि./अधीक्षक आवश्यक कागजात सत्यापित करेंगे और यदि वे

ठीक हैं तो ई.डी.आई. सिस्टम में 'लेट एक्स्पोर्ट ऑर्डर' (एल ई ओ) प्रदान करेंगे। आई.सी.टी.टी, वल्लारपाडम द्‌वारा प्रचालित सेवा केंद्र से निर्यातक/सी.हेच.ए. शिप्पिंग बिल की एल.ई.ओ. प्रति प्राप्त कर सकते हैं। मू.नि./अधीक्षक से एल.ई.ओ. प्रति प्राप्त करने के बाद सी.ई.पी.सी. में तैनात निवारक अधिकारी सील और ट्रक संख्या सत्यापित करने के बाद आई.सी.ई.एस. 'गेट आउट' मॉड्यूल में आवश्यक विवरण भरेंगे और शिप्पिंग बिल में गेट आउट टाइम लिखने के बाद शिप्पिंग बिल को सी.हेच.ए. को वापस कर देंगे। आगे से ओनवर्ड शिपमेंट हेतु ऐसे कंटेनरों के लिए उपर्युक्त पारा 6 में सूचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

On arrival of the House stuffed Containers (under Customs/Central Excise supervision) at ICTT Vallarpadom, the Exporter/ authorized representative of the Exporter will present all required documents to the Preventive Officer posted at the Customs Export Processing Center (CEPC). The Preventive Officer will verify that the Customs/C.Excise seal on the container is intact and endorse the same in Shipping Bill and hand over to AO/Supdt. Posted at CEPC. The AO/Supdt. will verify the required documents and if found in order, will grant Let Export Order (LEO) in the EDI system. Exporters/ CHA can collect the LEO copy of the Shipping Bill from the Service Center, operated by ICTT Vallarpadom. After the LEO is granted by AO/Supdt, the P.O posted at CEPC will enter the necessary details in the ICES 'Gate out' module after verifying the seal and truck number and return the Shipping bill to CHA after noting the gate out time in the Shipping Bill. Thereafter, the procedures mentioned in Para 6 above shall be followed for such containers for onward shipment.

8. आई.सी.डी से आने वाले निर्यात कंटेनरों के लिए विद्‌यमान प्रक्रिया चालू रहेगा।

For export containers arriving from ICDs, existing procedure will continue.

<u>सी.एफ.एस/आई.सी.डी से आई.सी.टी.टी तक आयात कंटेनरों का आना जाना</u>

<u>Movement of Import Containers from ICTT to CFS/ICD</u>

9. सी.एफ.एस/आई.सी.डी में आयात कंटेनरों के आवाजाही हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आई.सी.टी.टी के गेट अधिकारी अन्य कागजातों के साथ कंटेनर संख्या, सील संख्या, ट्रक संख्या का सत्यापन करेंगे और गी ए टी ई मॉड्यूल ('पोर्ट से सी.एफ.एस' या 'पोर्ट से आई.सी.डी') में आवश्यक विवरण भरेंगे और ट्रिप्लीकेट/ट्रांसशिपमेंत पर्मिट में आउट टाइम लिखेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि आई.सी.टी.टी गेट से आउट टाइम लिखने के बाद

नियत समय के अंदर कंटेनर सी.एफ.एस/आई.सी.डी में पहुँच जाये। सी.एफ.एस/आई.सी.डी में कंटेनर पहुँच जाने पर गेट अधिकारी कंटेनर संख्या, सील, ट्रक संख्या आदि का सत्यापन करेंगे और गी ए टी ई मॉड्यूल ('एंट्री एट सी.एफ.एस' स्क्रीन) में आवश्यक विवरण भरेंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए व्यापार सुविधा सं.03/2005 दिनांक 11.02.2005 देखें।

On receipt of application for movement of import containers to CFS/ICD, the gate officer in ICTT shall verify the container number, seal number and truck number, in addition to other documents, and enter the necessary details in GATE module ('Port to CFS' or 'Port to ICD') and endorse out-time in the triplicate/transshipment permit. The applicant shall ensure that the containers reach the CFS/ICD within the stipulated time with respect to the out-time noted from ICTT gate. On arrival of the container at CFS/ICD, the gate officer shall verify the seal, container number, truck number etc and make necessary entries in the GATE module ('Entry at CFS' screen). Trade Facility No. 03/2005 dated 11.02.2005 may be referred to for details in this regard.

10. उपर्युक्त प्रक्रिया 21.05.2013 से लागू हो जाएगा। उपर्युक्त के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाये।

The above procedures will come into force from 21.05.2013. Difficulties, if any, on implementation of the above may be brought to the notice of the undersigned.

ह/-

(डॉ. के. एन. राघवन Dr. K. N. RAGHAVAN)
सीमाशुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

फा.सं. F.No. C1/01/2013 T.U. Cus.
तारीख Dated: 17.05.2013.